वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2016-2017

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और मंत्रालय का संगठन	(i - iii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1 - 54
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	55 - 114
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	115 - 161
5.	उपाबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	162
6.	उपाबंध – II	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	163
7.	उपाबंध – III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	164
8.	उपाबंध – IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	165
9.	उपाबंध – V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	166
10.	उपाबंध – VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	167
11.	उपाबंध – VII	विधायी विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	168 - 171
12.	उपाबंध – VIII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	172
13.	उपाबंध – IX	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	173
14.	उपाबंध – X - XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	174
15.	उपाबंध – XII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	175

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वमतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्यासय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्यावय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्यायय (अध्याय III) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तारि, समावेशन और उत्कृयष्टिता लाने के लिए भारतीय विधि व्यववस्था में सुधार करना विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तररदायित्व और एक दृढ़ व्यायवसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तिंयां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाहराय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विशक स्तार पर प्रतिस्पर्धा के योग्यक बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।

- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्तो अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता1 कल्यानण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–I
विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य– मदों का आबंटन किया गया है :–

1. विधिक मामलों में मंत्रालयोंधविभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना ।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है ।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना ।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्पनरिक प्रबंध ।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद – पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।
6. भारतीय विधि सेवा ।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना ।
8. विधि आयोग ।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च

न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करनाय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तिय भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।

11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन ।

12. आयकर अपीलीय अधिकरण ।

13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:–

(क) अधिवक्तान अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001,

(घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005?

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है । इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है ।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय । कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमा कार्य । विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध–1 में दिया गया है ।

(1) मुख्य सचिवालयः

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव,

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतरू प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय संयुक्त् सचिव रैंक के एक आई.आर.पी.एस.अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अपर सरकारी अधिवक्ता., दो उप सरकारी अधिवक्तार, दो सहायक सरकारी अधिवक्तान, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं ।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं ।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं ।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्व्यन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है । यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है ।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशरू रेलवे बोर्ड और दूर–संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार दूरसंचार विभाग में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ के तौर पर कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

(2) भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्यनवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है । समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं । सरकार की आवश्यथकताओं को गुणात्मथक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्यारय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्तूऔबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों को महत्व पूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्याभदेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्रक की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राजें को राज्यकपाल, संसद को महासचिव, मुख्यर निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त , उच्चक न्याायालयों को न्या याधीश और विभिन्नर अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यानयिक अधिकारी दिए हैं।

(3) भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है । डिजिटल क्रांति ने सूचना की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है तथा संपदा सृजन के नए क्षेत्रों को बल प्रदान किया है । हमारा विधिक ढांचा सूचना की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी जांच करना आवश्यक हो गया है। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

वे हमारे संवैधानिक आधारों को सुदृढ़ बनाने, उनमें विस्तार करने और उन्हें धूप–पानी से बचाने में काम आने वाले पत्थररों को तराशने की भूमिका निभाते हैं। निश्च य ही, वे सभी हमारे पवित्र और भव्यं संवैधानिक भवन के कुशल शिल्पी हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न् मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्ताअवेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4092 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्तत सचिवों के

कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्तए निर्देशों सहित) प्राप्त हुए,जिन पर तत्प रतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयोंधविभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्री यध्अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुए सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित 65 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

(4) हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 158 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई । इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

(5) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 58 नोट और 79 निर्देश भी विधिक और संवैधानिक दृष्टि से जांच के लिए प्राप्त हुए।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तागवेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3572 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयोंधविभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्ना राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्यं संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(3) उपर्युक्तो अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टित से समीक्षा किए जाने के लिए 142 मंत्रिमंडल–नोट, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एएसजी की राय से संबंधित 774 मामले और बैठकों के 85 नोटिस प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्तव सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद–प्रश्नों और आश्वाएसनों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

5. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/सिविल अपीलें, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक संयुक्त सचिव देखते हैं, जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए नियमित आधार पर 6 सरकारी अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी हैं। यहां विधि अधिकारियों और वरिष्ठक अधिवक्ताओं की सहायता के लिए लगभग 6 सरकारी पैनल काउंसेल भी हैं।

(2) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:—

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
- रिकार्ड, प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग, फीस बिल यूनिट, पर्सनल डिपॉजिट यूनिट, कंप्यूटर प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग का, जिसके अंतर्गत रोकड़ अनुभाग भी शामिल है, पर्यवेक्षण करना।

(3) वर्तमान में, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख–अधिवक्ता हैं। एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिवक्तान को, जो अभिलेख–अधिवक्ता हैं, परामर्शदाता के तौर पर नियोजित किया गया है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

(4) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2016 के दौरान, केंद्रीय

अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों से 3468 नए मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 239 फाइलें प्राप्त हुईं। अधिकतर मुकदमे वित्त् मंत्रालय, केंद्रीय उत्पालद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं।

6. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा–कार्य

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यसतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैंः–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैंः–

बी0आई0एफ0आर0, ए0ए0आई0एफ0आर0, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम।

(2) मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण् अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

(3) केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, नौ स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल,ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी प्लीअडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के

और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक क्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

(4) वित्त वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में इस एकक को 12 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 7500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 तक 2500 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिसम्बंर, 2016 के अंत तक, 5.63 करोड़ रुपये के लगभग 6500 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

(5) दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 3871 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

अनुभाग	1.4.2016 से 31.12.2016 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01.01.2017 से 31.3.2017 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	3468	1150	4618
बी	403	135	538
कुल	3871	1285	5156

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

(6) मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय

प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

(7) दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 930 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

अनुभाग	1.4.2016 से 31.12.2016 तक प्राप्त मामले	01.01.2017 से 31.3.2017 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	930	300	1230

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

(i) रेल और आय–कर विभाग को छोड़कर दिल्ली/नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयोंधविभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमोंध्अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयोंध्अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी उप विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

(ii) यहां ज्येष्ठ पैनल काउंसेलों/अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसेलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 663 मामलों (पुराने और नए) में काउंसेल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 31.12.2016 को जिला न्यासयालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 7931 मामले लंबित थे।

(iii) काउंसेलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 417 फीस बिल प्राप्त हुए और काउंसेलों के वृत्तिक फीस बिलों के रुपये 4,29,1090/– का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2016–2017 के लिए मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के लिए कुल बजट रुपये 1,20,00000/– है।

(iv) न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय)

अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

(v) इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है । इस अनुभाग का पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है।

7. न्यायिक अनुभाग

न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमा–कार्य के व्यावस्थापन के लिए उत्तरदायी है। इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायवादी, भारत के महा–सालिसिटर और अपर महा–सालिसिटरों व सहायक महा–सालिसिटरों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरणों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य काउंसेलों को नियोजित करना है। इसके कृत्यों में, मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधनों तथा शर्तों को तैयार करना और उन्हें तय करना भी है। न्याचयिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्य स्थल के नामांकन के लिए भी जिम्मेदार है।

(2) यह अनुभाग, कानूनी आदेश जारी करने के लिए, जैसे कि सा0का0नि0 167 के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध रिट कार्यवाहियों में या सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों में वाद–पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन भारत के राष्ट्रापति की ओर से संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत भी करता है।

(3) यह अनुभाग सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालय की डिक्रियों का निष्पाकदन, भरण–पोषण के आदेशों का प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत निधन होने पर विदेशियों की संपदाओं का प्रशासन करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने का कार्य भी कर रहा है।

(4) भारत ने वर्ष 2007 में सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में न्यायिक व न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के बारे में हेग कंवेंशन को तथा सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में साक्ष्य लेने के हेग कन्वेंशन को अपनी सहमति प्रदान की है। इन दोनों कंवेंशनों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कंवेंशनों के अधीन विदेशों से प्राप्त समनों/नोटिसों की न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को तामील से संबंधित कार्य करता है। न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से जारी किए जाने वाले समनों/नोटिसों को तामील के लिए विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रसारित करने का कार्य भी करता है।

(5) उक्त अवधि के दौरान, एक विधि अधिकारी (अपर महा सालिसिटर) भारत के उच्चतम न्यायालय में और एक सहायक महा सालिसिटर श्रीनगर स्थित जम्मूर और कश्मीर उच्च न्याययालय में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में 24 पैनल काउंसेल (12 समूह "क", 9 समूह "ख" और 3 समूह "ग") नियुक्त किए गए। उक्त अवधि के दौरान, भारत के विभिन्न न्यायालयों /अधिकरणों में निम्नलिखित पैनल काउंसेल भी नियुक्तर किए गए:

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्याययालय / अधिकरण			
		उच्चय न्यायालय	केंद्रीय अभिकरण अनुभाग	ए0एफ0टी0	जिला न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	07		2 (चेन्नै पीठ)	01
2	बिहार		01		08
3	दिल्ली	12	02		03
4	झारखंड	01			
5	कर्नाटक	01			65
6	केरल			13	
7	ओडीशा				148
8	पंजाब और हरियाणा	02		02	89
9	राजस्थान	01		02	
10	तमिलनाडू	01	01		122
11	उत्तराखंड	01			
12	उत्तर प्रदेश	10	05	01	151
	योग	**36**	**09**	**20**	**587**

6. विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44(ख) के अधीन अफगानिस्तान के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि की। इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग वर्ष 1965 के हेग कन्वेंशन के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ न्यायिक और न्यायतर दस्तावेजों की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण भी है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 900 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई । इसके अतिरिक्त, भारत सिविल और वाणिज्यि क मामलों में विदेशों में साक्ष्यम लेने के कन्वेंशन का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिस पर दिनांक 18 मार्च, 1970 को हस्ताक्षर हुए थे। इस कन्वेंशन पर अब तक 82 हस्ताक्षरकर्ताओं (81 देश और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन) ने हस्ताक्षर किए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उक्त कन्वेंशन के अधीन प्राप्त हुए 6 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई।

8. नोटरी सेल

(1) नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांचध संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

(2) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात इन राज्यों और संघ राज्यम क्षेत्र चंडीगढ़ में नोटरियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिए गए। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान लगभग 1984 अधिवक्ताओं/आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। अब तक देश के विभिन्न भागों में 13000 नोटरी नियुक्ति किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस दौरान नोटरियों के 1350 प्रमाण–पत्रों का नवीकरण किया गया है।

9. कार्यान्वयन सेल

(1) विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय के अलावा, यह सेल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 के प्रशासन से भी संबद्ध है।

अधिवक्ता अधिनियम,1961, भारत की संसद द्वारा विधि व्यवसाय संबंधी कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए तथा बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन के लिए दिनांक 19.05.1961 से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया गया है।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001: अधिवक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए और उनसे संबंधित मामलों हेतु एक कल्याण निधि का गठन करने के लिए भारतीय संसद द्वारा दिनांक 14.09.2001 से अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को अधिनियमित किया गया है।

(2) दिनांक 01.12.2016 तक भारत का विधि आयोग 263 रिपोर्टें प्रस्तुात कर चुका है जिनमें से 262 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। चूंकि भारत के विधि आयोग ने रिपोर्ट संख्या 263 हाल ही में दिनांक 17.10.2016 को प्रस्तुत की है, इसे उचित समय में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दिसंबर, 2016 तक प्राप्त सभी रिपोर्टें जांच/कार्यान्वदयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की संस्तुतियों के अनुसरण में कार्यान्वायन कक्ष वर्ष 2005 से विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिुति दर्शित करने वाला एक वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता आ रहा है। ऐसा 12वां वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के पटलों पर दिनांक 7.12.2016 को लोक सभा में और दिनांक 9.12.2016 को राज्य सभा में रखा गया।

10. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई अनुरोधों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है।

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2016 से 31.12.2016)
1.	कुल आर.टी.आई. अनुरोध	1400
2.	प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलें	25
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	19
4.	ऑनलाइन प्राप्त कुल अनुरोध	4417

11. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय की कानूनी पुस्तकों/जर्नलों और अन्य शोध सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। यह अनुभाग अपने प्रयोक्ताओं को संदर्भ और विधिक अनुसंधान सेवा प्रदान करता है।

(2) इस वर्ष पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने संदर्भ के लिए 327 पुस्तकें और विधि के जर्नलों के अनुमानतः 720 खंडों की खरीद की और उनकी जिल्दबंदी करवाई।

(3) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि के 19 भारतीय जर्नल और 3 विदेशी जर्नल मंगाता है।

(4) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए निर्णय विधि, निर्णयों, आलेखों आदि के सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित सीडी रोम/ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त की हैं:–

(क) ए0आई0आर0 कॉम्बोक डीवीडी (अपडेट्स) उच्चसतम न्याायालय, उच्च न्यायालय, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1950–2014)

(ख) एससीसी ऑनलाइन केस फाइंडर

(ग) एससीसी ऑनलाइन वेब (आई0पी0) सर्विसेज

(घ) मनुपात्र डॉट काम ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज

(ङ) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

(च) सी.एल.ए. ऑनलाइन

(छ) लेक्सिस नेक्सिस स ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

12. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट्र संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचनाः

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ''क'' क्षेत्र और ''ख'' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजनः

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2016 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी और मंत्रिमंडल सचिव के संदेशों को भी विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2016 से 30.9.2016 तक श्हिन्दी माहश्श का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', ''हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए), और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 91 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 82 सफल प्रतियोगियों को शीघ्र ही आयोजित होने वाले एक समारोह में विधि सचिव द्वारा 65,800/–रु0 के नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का सृजन :

(i) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(ii) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके

दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्यं निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(iii) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी–हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(iv) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है । सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(v) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(vi) विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जाती है।

(vii) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 21 जनवरी, 2016 को आयकर अपीलीय अधिकरण के चेन्नै पीठ में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण बैठक में श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी और श्री विजय सिंह मीणा, उप निदेशक (राजभाषा) ने विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(viii) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उप निदेशक(रा.भा.) ने दिनांक 16 और 17 मई 2016 को आयकर अपीलीय अधिकरण के चंडीगढ स्थित पीठ का राजभाषायी निरीक्षण किया है।

(ix) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 8 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(x) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव, और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को हुई थी।

(xi) दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, उपाबंध–।। और उपाबंध–।।। में दिया गया है।

13. शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2016–17 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रभारी जून, 2016 तक एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता और तदुपरांत एक अपर सरकारी अधिवक्ता थे। शाखा सचिवालय, कोलकाता का कार्यालय द्वितीय और तृतीय तल, मिडिल बिल्डिंग, 11, स्ट्रौड रोड, कोलकाता –700001 में स्थित है। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, मुकदमा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणधनिचला न्यायालय, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 9000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तूकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में चल रहा है।

(2) शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं से संबंधित सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय कलकत्तो उच्चो न्याायालय और पोर्ट ब्लेयर स्थित उसके सर्किट बेंच में तथा 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्नय उच्च न्याययालयों और अन्यर न्यायालयों व फोरमों में भारत संघ के मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता न्यायपीठ के साथ–साथ कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्य न्यायपीठों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्किट न्यायपीठों के समक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। इसके अलावा, संबंधित विभागों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सीजीआईटी, सीईएसटीएटी, राज्य आयोग, जिला फोरम, डीआरएटी, डीआरटी, निम्न न्यायालय आदि विभिन्न अधिकरणों/न्यासयालयों के समक्ष और माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों के समक्ष उपस्थित होने के लिए पैनल काउंसेलों को भी नियोजित किया जाता है।

(3) इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय–कर विभाग, रेल, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद–शुल्क, राजस्व आसूचना, फेमा/फेरा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं, और कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न होने या मुख्यालय (उदाहरण के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड) कोलकाता में होने के कारण पूर्वी क्षेत्र से बाहर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को भी, संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

(4) वर्ष 2016–17 के दौरान, सलाह खंड में दिसम्बर, 2016 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 871 निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा, अनुमान है कि वर्ष 2016–17 के अंत तक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1200 होगी। यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यादयालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले अभिवचनों, करारों/संविदाओ की विधीक्षा भी करता है।

(5) मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्याम से मामले पर सुनवाई बहस करवाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण मामलों में अपर महासालिसिटर उपस्थित हुए और उसमें उनकी सहायता शाखा सचिवालय द्वारा नियोजित पैनल काउंसेल ने की।

(6) वर्ष 2016–17 के दौरान, वरिष्ठऔ सरकारी अधिवक्ताा (जून,2016 तक), एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ की ओर से कोलकाता उच्च न्यानयालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी उपस्थित हुए। तीन सहायक विधि सलाहकारों ने सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख की।

(7) वर्ष 2016–17 के दौरान, दिसंबर, 2016 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्तक और संचालित उच्चर न्या यालय के मामलों की कुल संख्या 2211 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों (कुछ मामले पिछले वर्षों के भी थे) की संख्या 2569 है। जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान निपटाए जाने वाले संभावित मामलों की संख्या लगभग 700 होगी। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) सेवाओं के नियोजन हेतु प्राप्ति मामलों की संख्याल 576 है और वर्ष 2016–17 के अंत तक ऐसे मामलों की कुल संख्या 2 लगभग 700 होने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में (दिसंबर, 2016 तक) माध्यस्थल मामलों सहित निपटाए गए न्यायालयों के मामलों की संख्या 268 थी और यह अनुमान है कि 2016–17 की शेष अवधि के दौरान लगभग 35 और मामले प्राप्त हो सकते हैं। शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा संचालित किए गए मुकदमों का तुलनात्मक विश्लेषण उपाबंध–IV में दिया गया है।

(8) शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान दिसम्बर, 2016 तक कुल 5 आरटीआई आवेदन और एक अपील प्राप्त हुई, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।

(9) वर्ष 2016–17 के दौरान, पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 4,00,00,000/– रुपए के स्वीकृत संशोधित प्राक्कललन में से दिसम्बर 2016 तक कलकत्ता् उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,78,28,710/– रुपए (दो करोड़ अट्ठहत्तर लाख अट्ठाईस हजार सात सौ दस रूपये केवल) का भुगतान किया गया है। पैनल काउंसेलों को दी गई फीस का विवरण उपाबंध–V में दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

(10) इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से हिंदी अनुभाग कार्य कर रहा है। इस सचिवालय में सितम्बुर, 2016 में हिंदी दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अब तक लगभग 64 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आशा की जाती है कि वर्ष 2019 तक स्टाफ के सभी सदस्य् ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे।

(11) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 'कोसा' नामक एक नये सॉफ्टवेयर से शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए आयकर की त्रैमासिक विवरणियों को इलैक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया जा रहा है और फ्लापियों/सीडी में उन्हें टीआईएन सुविधा केंद्र के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा एक नया फार्म–24जी शुरू किया गया है, जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस विभाग द्वारा भरकर इलैक्ट्रानिक फार्मेट में जमा किया जाना होता है। एनआईसी, नई दिल्लीा द्वारा तैयार किए गए "पीएफएमएस" का प्रयोग करते हुए व्यय का साप्ताहिक विवरण भी तैयार किया जाता है और वेतन और लेखा कार्यालय को ऑनलाइन भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी गवर्नमेंट एकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (जीएएमएस) का प्रयोग करते हुए सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, कोलकाता में 37(सैंतीस) पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब यहां के लगभग सभी कम्प्यूटरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

(12) शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित है, जिसमें 9000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह मुकदमा–कार्य और सरकारी विभागों को सलाह के काम में बहुत मददगार है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और 'सीडीजे लॉ जर्नल' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

(13) शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था शुरू है। इसके अतिरिक्त, अब आधार आधारित बॉयोमैट्रिक प्रणाली भी सफलतापूर्वक शुरू की गई है।

(14) शाखा सचिवालय, कोलकाता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित "लिम्ब्स" सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। एक बार इस सॉफ्टवेयर में डाटा उपलब्ध करा दिए जाने पर मामलों को ऑनलान देखा जा सकता है और अधिवक्ताओं और विभागों को निदेश आदि ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर मुकदमेबाजी की लागत को कम करने और मामले पर निगरानी रखने में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इस संबंध में यह भी बताया जाता है कि कागजी कार्य को कम करने रिकार्ड व मुकदमों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित 2005 के आगे के मामलों की सूची को विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध कम्प्यूटरों में डाला गया है।

(15) शाखा सचिवालय, कोलकाता में 21 जून, 2016 को पूरे उत्साह के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया।

(16) शाखा सचिवालय, कोलकाता में एक नियमित प्रक्रिया के तौर पर स्वतच्छथता अभियान चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में स्वच्छतता अभियान और पुराने रिकार्डों की छंटाई के पर्यवेक्षण के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में जनवरी, 2016 के दौरान "शाखा सचिवालय, कोलकाता में हितधारकों को अधिकतम कारगर सेवा प्रदान करना" और "स्वच्छता पर जन–जागरूकता" विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यापक मरम्मत कार्य तथा स्वयच्छीत अभियान चालू होने के कारण यह शाखा सचिवालय कुछ और स्वाच्छ और सुंदर हो गया है और कार्यालय परिसर को और अधिक स्वच्छू/सुंदर बनाने के प्रयास जारी हैं।

14. शाखा सचिवालय, मुंबई

वर्तमान में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक वरिष्ठव सरकारी अधिवक्ता हैं। उनके साथ वहां दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं। इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन दायित्वों के समयबद्ध कार्यान्वनयन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें कामकाज, कर्तव्यों, संगठन आदि के बारे में निम्नानुसार दर्शाया गया है:–

(1) **संगठन:**– जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्चह न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। वरिष्ठी सरकारी अधिवक्ता को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में अपर सरकारी अधिवक्ता, अपर विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त शाखा सचिवालय के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग–अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात सलाह अनुभाग, मूल मुकदमा अनुभाग, जिसमें विविध सिविल रिट याचिकाओं, फेरा/फेमा, डीजीएफटी, एसएएफईएमए के मामलों, मुकदमों, माध्यस्थम मामलों और भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश के संबंध में कार्रवाई की जाती है तथा अपील मुकदमा अनुभाग, जिसमें दंड विधि से

संबंधित विविध सिविल रिट याचिकाओं और मुकदमों से संबंधित कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येकि अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठब अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अधिकारी करते हैं।

कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिकारियों की सहायता एक सहायक (विधि), सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और कोर्ट क्लर्क करते हैं।

(2) **कृत्य और कर्तव्य** :– शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्नन विभागोंध्मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्ने विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च/न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्याकयालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के मार्ग–निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(3) **विधिक सलाहः** भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्ति निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पिश्चात उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2615 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(4) **मुकदमाः** इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए नियुक्त अधिवक्ताओं/काउंसेलों के और विभिन्न न्यापयालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है ।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न् मुकदमों से संबंधित लगभग 4139 मामले

प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों: विभागों के माध्याम से काउंसेल नियुक्त किए गए और उच्च न्याायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 1402 मामले निपटाए गए हैं।

(5) **प्रशासन** : शाखा सचिवालय, मुम्बगई के प्रशासन के प्रमुख वरिष्ठउ सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी है।

(6) **राजभाषा**: इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चिवत करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में गठित राजभाषा समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:–

1.	**श्री पंकज कपूर, वरिष्ठा सरकारी अधिवक्ता**	**अध्यक्ष**
2.	**श्री ए.ए.अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता**	**कार्यकारी अध्यक्ष**
3.	**श्री नीरज कुमार, सहायक विधि सलाहकार**	**समन्वकयक**
4.	**श्री अनूप कुमार, सहायक (विधि)**	**कार्यकारी सदस्य**
5.	**श्रीमती उषा वी.सैलिअन, वैयक्ति सहायक**	**कार्यकारी सदस्य**
6.	**श्रीमती वैशाली कर्माले, एमटीएस**	**कार्यकारी सदस्य**

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही है।

15. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(1) सलाह: यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1–4–2016 से 31–12–2016 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 895 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है ।

(2) मुकदमा कार्य : – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में

नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 6016 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालयध्सी ए टी/एल सी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्ती वर्ष के दौरान अगले तीन महीने की शेष अवधि में मुकदमों से संबंधित लगभग 1500 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

(3) **काउंसेलों के फीस बिल** : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

(4) **प्रकीर्ण** : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया।

(5) **महिला कर्मचारी**:– इस कार्यालय में 8 महिला कर्मचारी हैं, अर्थात एक उप विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), दो वैयक्ति सहायक (सीएसएसएस), एक वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और दो सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) तथा एक सहायक(विधि)।

(6) **निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों के आंकड़े**:– सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न प्रवर्गों के 9 कर्मचारी हैं, अर्थात अनुसूचित जाति–04, अनुसूचित जनजाति– 01, अन्य पिछड़ा

वर्ग–03, पूर्व सैनिकध्अन्य पिछड़ा वर्ग–01।

16. शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(1) **सलाह** : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। चालू वर्ष अर्थात् 2016–2017 के दौरान सलाह के लिए लगभग 861 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान दिनांक 31.12.2016 तक कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और उनके विभिन्नस पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

(2) **मुकदमा कार्य**: यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरू नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2016–17 के दौरान, मुकदमों से संबंधित लगभग 6278 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में दिनांक 31.12.2016 तक केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है ।

(3) **काउंसेलों के फीस के बिल**: यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई

करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है । जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है।

(4) **भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापनाः** भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्ति किया है। भारत के ये दोनों अपर महासालिसिटर बंगलुरू में रहते हैं। इन अधिकारियों के कार्यालय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिसर में स्थित हैं।

(5) **लेखा परीक्षा का पैराः** शाखा सचिवालय, बंगलूरू के संबंध में कोई लेखा परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

17. भारत का विधि आयोग

दिनांक 1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आयोग में निम्नआलिखित सम्मिनलित हैं:–

अध्यक्ष	न्याययमूर्ति डॉ0 बी0एस0चौहान
सदस्य	न्याययमूर्ति रवि आर.त्रिपाठी
सदस्य	प्रॉ0 (डॉ0) एस. शिवकुमार
सदस्य–सचिव	डॉ0 संजय सिंह
सचिव, विधि कार्य विभाग सदस्य (पदेन)	श्री सुरेश चंद्र
सचिव, विधायी विभाग सदस्य (पदेन)	डॉ0 जी0 नारायण राजू
सदस्य (अंशकालिक)	डॉ0 बिमल एन0 पटेल
सदस्य (अंशकालिक)	श्री एस0पी0जैन
सदस्य (अंशकालिक)	श्री अभय भारद्वाज

(2) 21वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याययय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(3) विधि आयोग ने उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसरण में और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यातयालयों के निर्देश पर विधिक सुधारों की विभिन्नव परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

(4) राष्ट्रीय वाद नीति की जांच के अतिरिक्तर, विधि आयोग ने केंद्र सरकार को निम्नेलिखित दो रिपोर्टें विचारार्थ प्रस्तु त की है :–

(i) रिपोर्ट सं0 263 / "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन (इंटर–कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन) बिल, 2016"

(ii) रिपोर्ट सं0 264 / "दंड विधि (संशोधन), विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण से संबंधित उपबंध)"

(5) इसके अतिरिक्त, विधि आयोग दांडिक न्याय प्रणाली, जमानत की व्यापपक समीक्षा राजद्रोह कानून विद्वेष भाषण अधिवक्ता अधिनियम अधिकरणों के आदेशों से सीधे उच्च्तम न्यायालय में सांविधिक अपीलों पर विचार एकसमान सिविल कोडय सट्टा और दांव लगाने का विनियमितीकरण और बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने जैसे अन्य कानूनी सुधारों की विभिन्न परियोजनाओं की भी जांच कर रहा है।

(6) सूचना का अधिकारः

अपील प्राधिकारी	**डॉ.(श्रीमती) पवन शर्मा, संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी**
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (विधि)	**श्री ए.के.उपाध्याय, अपर विधि अधिकारी**
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (प्रशा.)	**श्री कुलदीप कुमार, अवर सचिव**
वर्ष के दौरान निपटाई गई आरटीआई की संख्या	**100**
वर्ष के दौरान आरटीआई अपीलों की संख्या	**9**

18. भारतीय विधि संस्थातन (आईएलआई)

प्रस्तावनाः भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। संस्थान के उद्देश्य हैं – विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक–आर्थिक विकास और लोगों की आवश्कताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होता है।

वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्न लिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2016–2017 में दाखिल छात्र
एल.एल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	26
स्नादतकोत्त.र डिप्लो0मा पाठ्यक्रम (वैकल्पिरक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पकत्तिव अधिकार विधि)	252
विधि में पीएच.डी.	05
छात्रों की कुल संख्याी	283

- संस्थारन में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 14 छात्र नामांकित हैं ।

- यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन–लाइन ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ऑन–लाइन साइबर विधि के बैच सं. 25 तथा ऑन–लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 36 पूरे हुए।

  जारी किए गए शोध–प्रकाशनः रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (जेआईएलआई): यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

- भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षणः भारतीय विधि संस्थावन हर वर्ष एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशनः "भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण" करता है जिसमें विधि की प्रत्येक शाखा की नवीनतम प्रवृत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं।

- आई0एल0आई0 न्यूजलैटरः यह त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण प्रकाशित किया जाता है।

- ए ट्रीटाइज ऑन कन्यूमर प्रोटेक्शन लॉ–पुस्तरक का संशोधित और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया गया है।

- विधि अनुसंधान और कार्य प्रणालीः पुस्तक का संशोधित और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया गया है।

- विधि की पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाः यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। इसमें आईएलआई पुस्तपकालय को प्राप्त अनुक्रमणिकाएं, विधि और संबंधित विषयों की पत्रिकाएं (वार्षिक पुस्तकों और अन्यक वार्षिक प्रकाशनों सहित) शामिल हैं।

- दक्षिण एशिया के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय लिखतों का सार–संग्रहः यह भारतीय विधि संस्थान और यूनाईटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्सर एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित एक अनुसंधान सार–संग्रह है।

- दस्तावेजों का डिजिटीकरणः भारतीय विधि संस्थावन ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों् का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्यीख्याधन) :

- **ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम**

  भारतीय विधि संस्थान और ह्यूमन राइटस एंड बिजनेस अकादमी (एचयूआरबीए) ने 20 जून से 01 जुलाई, 2016 तक 'व्यापार और मानवाधिकार' पर एक ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यारयमूर्ति दीपक मिश्र ने उद्घाटन अभिभाषण दिया। उद्घाटन सत्र में श्री राकेश मुंजाल, वरिष्ठ अधिवक्ता/उपाध्यक्ष, आईएलआई, यूएनएसड्ब्ल्यू, आस्ट्रेलिया की सुश्री जस्टिन नोलान, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इस्टिट्यूट, स्कॉट्लैंड के डॉ. जेरनेज लेटनार सेरनिक और प्रॉ. (डॉ) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, आईएलआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यारयमूर्ति अनिल आर. दवे ने डॉ. सूर्य देवानंद, डॉ. एरिका आर. जार्ज के साथ समापन भाषण दिया।

विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए 60 प्रतिभागियों ने जिनमें विद्यार्थी, कॉर्पोरेट कार्यपालक, सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता शामिल थे, दो सप्ताह के इस गहन पाठ्यक्रम में भाग लिया। पाठ्यक्रम दो घंटे के 20 सेमिनारों में अंतः क्रिया संगोष्ठियों के रूप में तैयार किया गया था। प्रतिभागियों को सारे विश्व से आए प्रमुख विद्वानों और व्यवसायिकों द्वारा व्यापार और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान हुआ। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रतिभागियों को भारतीय विधि संस्थान ने प्रमाणपत्र प्रदान किए।

- **दंड विधि में मृत्यु और यौन विषय पर कार्यशाला**

  भारतीय विधि संस्थाधन ने "दंड विधि में मृत्युत और यौन" विषय पर दिनांक 26 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2016 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। उच्चतम न्यायालय के न्याायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रख्यामत वक्ता जैसे कि प्रो. शिव विश्वानाथन, प्रोफेसर, जिंदल स्कूयल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पोलिसी, ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी, हरियाणा और प्रो. अनूप धर, सहायक प्रोफेसर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नई दिल्लीस ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास और मनोविश्लेषण के जरिये कानून को जानने और इच्छामृत्यु, आत्महत्या और संथारा पर हाल में हुई बहस के कानूनी दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली। कार्यशाला के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को एक प्रस्तुतीकरण देना था। कार्यशाला के सफल समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

- **वित्तीय साक्षरता जागरूकता पर कार्यशाला**

  भारतीय विधि संस्थायन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सहयोग से दिनांक 26 अगस्ता, 2016 को अपराह्न 04.00 बजे भारतीय विधि संस्थारन में "वित्तीय साक्षरता जागरूकता" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य निवेशकों के साथ आम लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना था ताकि वे अधिक विवेकपूर्ण और सार्थक ढंग से अपने वित्तीय निर्णय ले सकें और उन्हें विभिन्ना वित्तीय उत्पाादों के संबंध में बाजार की जटिलताओं और जोखिम के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

- **"कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों को समझना" विषय पर कार्यशाला, दिनांक 21 से 26 नवंबर, 2016 तक**

  इस कार्यशाला द्वारा शिक्षाविदों, विद्वानों, अधिवक्ताओं, प्रकाशकों और विधि के छात्रों को कॉपीराइट कानून और संबंधित अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला।

इसमें कॉपीराइट मालिकों और लाइसेंसधारकों के विविध हितों से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया गया। कार्यशाला सत्र में कॉपीराइट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण, भागीदारी गतिविधियां और परिचाएं आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को कॉपीराइट कानून के विख्यात शिक्षाविदों के विचारों का लाभ मिला। कार्यशाला के सफल समापन पर संस्थान द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

- **'न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विधि व्यवसाय का उदारीकरण' विषय पर अंतराष्ट्रीय सम्मेंलन – दिनांक 10 दिसंबर, 2016**

भारतीय विधि संस्थारन ने डेकिन यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 10 दिसंबर, 2016 को 'न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विधि व्यवसाय का उदारीकरण' विषय पर एक–दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में आस्ट्रेलिया और भारत के प्रख्यात कानूनविदों, प्रख्यात वकीलों और विधि शिक्षाविदों तथा आस्ट्रेलिया उच्चायोग के राजनयिकों ने श्रोताओं और पैनलिस्टों के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन दो बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित था अर्थात न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और भारत में विधि व्यवसाय का उदारीकरण।

- **विधि अनुसंधान प्रणाली विज्ञान पर वार्षिक विधि सम्मेलनः मुद्दे और चुनौतियां, 17–18 दिसम्बवर, 2016**

भारतीय विधि संस्थापन ने प्रतिभागियों को विधि संबंधी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए दिनांक 17–18 दिसंबर, 2016 को 'विधि अनुसंधान प्रणाली विज्ञानः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर एक वार्षिक विधि सम्मेलन आयोजित किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में, अनुसंधान के लिए समस्या को तैयार करना, डाटा एकत्रीकरण, संबंधित साहित्यि का अवलोकन करना, डाटा के विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिए एक उचित तरीका चुनना, जैसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान प्रणाली विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं पर विचार किया गया। प्रतिभागिता के लिए लक्ष्य–समूह संकाय के सदस्य, अनुसंधानकर्ता और विधि और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों के स्नातकोत्तलर छात्र थे। उद्घाटन समारोह में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, मुख्य अतिथि थे।

अनुसंधान की परियोजनाएंः–

- **पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना :**

  पंचायती राज मंत्रालय ने 'ए स्टाडी ऑन केस लॉज रिलेटिंग टू पंचायती राज इन सुप्रीम कोर्ट एंड डिफ्रेंट हाई कोर्ट्स' (उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पंचायती राज से संबंधित निर्णय विधि का अध्ययन) विषय पर एक परियोजना भारतीय विधि संस्थान को सौंपी है।

- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी की परियोजनाः**

  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आतंकवाद– संबंधी मामलों का एक सार–संग्रह और एक आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल का मसौदा तैयार करने के लिए एक परियोजना भारतीय विधि संस्थावन को सौंपी है।

- **विधि और न्याय मंत्रालय की परियोजनाः**

  विधि मंत्रालय, न्याय विभाग ने भारतीय विधि संस्थीन को 'अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाएं' विषय पर एक परियोजना सौंपी है।

- **केंद्रीय सूचना आयोग की परियोजनाः**

  केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय विधि संस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 पर एक परियोजना तैयार करने का अनुरोध किया है।

आगामी गतिविधियां
(दिनांक 1.1.2017 से 31.3.2017 तक)

प्रकाशनः–निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव हैः

(i) जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीलट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)

(ii) आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)

(iii) भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण –2016

(iv) विधि पत्रिकाओं की सूची–2016

(v) निम्न विषयों पर नई पुस्तकेंः

- पर्यावरण प्रदूषण पर कानूनी नियंत्रणः विद्यमान विधान का मूल्यांकन
- भारत में आतंकवाद, राजद्रोह और मानवाधिकार
- विधि, हिंसा और न्याय
- भारत में बौद्धिक संपत्ति और मानवाधिकार
- कापीराइट का कानूनः डिजीटल दुनिया में चुनौतियां
- धनशोधन कानूनरू भारत में मसले और चुनौतियां
- 21 वीं सदी के भारत में जल विधि की बढ़ती भूमिकाः उपलब्धिकयां और चुनौतियां

संगोष्ठिंयां/सम्मेधलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

(i) वर्ष 2017 में, संस्थान दिनांक 23 जनवरी, 11–12 फरवरी, 22 फरवरी और 25–26 मार्च को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से कारावास के अधिकारियों/मीडिया कार्मिकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक/दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ।

(ii) भारत का विधि आयोग और भारतीय विधि संस्थान संयुक्त रूप से दिनांक 21 जनवरी, 2017 को जमानत–संबंधी मामलों पर एक न्यायिक परामर्श आयोजित कर रहे हैं।

19. अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर)

प्रस्तावनाः अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिनांक 31 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था। यह एक स्वायत्तत संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद और बंगलूरू में इसके क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसकी स्थापना वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को प्रोन्नत करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनका प्रचार–प्रसार करने के लिए की गई है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम हो सके।

माध्यस्थलम मामले : नई दिल्ली स्थित केंद्र को अब तक माध्यस्थम के लिए 51 मामले प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले और 4 सुलह के मामले शामिल हैं। माध्यस्थ अधिकरणों ने माध्यस्थम के 43 मामले निपटाए हैं और बाकी 8 मामलों की सुनवाई चल रही है। सुलह के सभी 4 मामले निपटा लिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र को भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उन मामलों मे मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जिनमें भारत

सरकार एक पक्षकार है। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थों के पैनल सुलभ कराता रहा है।

सम्मेलन / सेमिनार / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर) ने ''संस्थागत माध्यस्थतम और आगे की चुनौतिया'' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। उक्त सम्मेलन का उद्घाटन आईसीएडीआर के अध्यक्ष और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति टी.के. ठाकुर द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में ''भारत में संस्थागत माध्यास्थ मरू आईसीएडीआर मददकर्ता के रूप में'' तथा ''आईसीएडीआरः द वे फारवर्ड'' विषयों पर दो कार्यकारी सत्र हुए। इस कार्यक्रम में प्रख्यात कानूनविदों, भारत सरकार के अधिकारियों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं आदि ने भाग लिया।

- अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने जून, 2016 में मध्यस्थता पर एक 40 घण्टे का प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैकल्पिक विवाद समाधान पर 10 कार्यशालाओं / सेमिनारों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 के दौरान की संभावित गतिविधियों का पूर्वानुमान

(i) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र मुख्यालय का मध्यस्थता और माध्यस्थम पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है ।

(ii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तथा पारिवारिक विवाद समाधान (एफडीआर) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान पर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है ।

(iii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू की वैकल्पिक विवाद समाधान पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन की योजना है।

20. भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ–साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा

के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मसक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

(2) भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्तिव का नामांकन किया गया हो और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

21. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्तन निकाय है। इस संस्थान की स्थापना भारत के संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1956 को हुई थी। अपने उद्देश्यों के अनुसरण में संस्थान अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करता है और सामयिक महत्व के विषयों पर व्याख्यान और सम्मेलन का आयोजन करता है। संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के अतिरिक्त प्रकाशन, इंटर्नशिप कार्यक्रम भी संचालित करता है।

22. आयकर अपीलीय अधिकरण(आई.टी.ए.टी.)

(1) उद्गमः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतन न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

(2) गठनः आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम–से–कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो

भारतीय विधि सेवा का सदस्यध रहा हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद कम–से–कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम–से–कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चाटर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेट के रूप में लेखाकर्म का कम–से–कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्री कृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम–से–कम तीन वर्ष तक (अपर) आय–कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य् या उच्चतर पद धारण किया हो।

(3) सदस्यों और कर्मचारियों की कमी: देशभर के 27 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों 9 की वर्तमान स्वीमकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 101 सदस्य पदस्थण हैं और तदनुसार आज की तारीख में सदस्योंय के 25 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यरत है तथा उनकी सहायतार्थ 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, उपाध्यक्ष के 7(सात) पद तथा सदस्यों के सत्रह (17) पद रिक्त हैं।

जहां तक रजिस्ट्री अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों और निजी सचिवों की कमी का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल उप पंजीकार(7) के सभी स्वीकृत पद रिक्त हैं और सहायक पंजीकारों के 38 स्वीकृत पदों में से 17 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी अधिकारी के स्वीकृत दो(2) पदों में वर्तमान में सभी पद रिक्त हैं। वरिष्ठ निजी सचिवों के 126 स्वीकृत पदों में से 38 पद रिक्त हैं और निजी सचिवों के 47 स्वीकृत पदों में से 30 पद रिक्त हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण में अन्य पदों की रिक्तियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रम सं.	पद	रिक्तियां
1	वरिष्ठ लेखाकार	2
2	अधीक्षक	4
3	कार्यालय अधीक्षक	8
4	हिन्दी अनुवादक	11
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
6	मुख्य लिपिक	11
7	उच्च श्रेणी लिपिक	32
8	आशुलिपिक ग्रेड घ	4
9	अवर श्रेणी लिपिक	64
10	स्टाफ कार चालक	16
11	मल्टी टास्किंग स्टाफ	97
	कुल	**250**

(4) शक्तियां और कृत्यः आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपीलों और आयकर अधिनियम के अध्याय–XX–क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरूद्ध अपीलों का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगत कुल आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेषन्यापीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

(5) प्रक्रिया और नियम : अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पान्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्ति है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्तर हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन–कर, दान–कर और व्यय–कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेंषण–प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्येता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर–दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पेक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

सामान्यतः अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्याकयिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्वी शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित

करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ–साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पणी लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पेक्ष और निर्दोष होते हैं।

(6) लंबित अपीलः वर्ष 2016 के प्रारंभ में आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 95669 थी और दिनांक 1 जनवरी, 2017 को लंबित अपीलों की संख्या 91538 है।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :–

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	41648	49353	47617
2010–2011	44250	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286
2013–2014	46031	31886	88643
2014–2015	45072	30494	103238
2015–2016	40087	51010	91971
2016–2017			
01.01.2017 तक	35712	36145	91538

(7) **लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः** सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैंः–

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2016	2203
फरवरी, 2016	1945
मार्च, 2016	1878
अप्रैल, 2016	1949
मई, 2016	2638
जून, 2016	5737
जुलाई, 2016	15509
अगस्त, 2016	14912
सितम्बर, 2016	14296
अक्टूबर, 2016	14066
नवम्बर, 2016	13878
दिसम्बर, 2016	13935

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नारनुसार हैं :–

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2016	269
फरवरी, 2016	215
मार्च, 2016	227
अप्रैल, 2016	240
मई, 2016	262
जून, 2016	322
जुलाई, 2016	235
अगस्त , 2016	290
सितम्बर, 2016	325
अक्टूबर, 2016	356
नवम्बर, 2016	368
दिसम्बर, 2016	364

आयकर अपीलीय अधिकरण की 63 स्वीकृत पीठें हैं जिसमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है और वर्तमान में केवल 101 सदस्य हैं तथा कुछ पीठों के नियमित रुप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(8) कम्प्यूटरीकरणः आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिक गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्या 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

(9) उपलब्धियां :

(क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजनाः यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वीचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण

के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन–हाउस लगाया गया है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर एक विशेष तेज गति के 4 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन से जोड़ा गया है।

(ख) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्ताऑर के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यारयिक और सामान्यट जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है।

(ग) **एन.आई.सी. ई–मेलः** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(घ) **आधारिक संरचना का उन्नहयन :** आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार,

आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूयटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

(10) भविष्यल की परियोजनाएं

(क) वेब एप्लीकेशन्स का पुनर्विकास और ई–फाइलिंग शुरू करना

आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स को अधिक सूचना उपयोगी, प्रयोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल और दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें रीवैंप करने पर विचार करता रहा है। इसके अलावा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने संसदीय राजभाषा समिति को आश्वासन दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को पूरी तरह से द्विभाषी बनाएंगे। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आयकर अपीलीय अधिकरण के ऑनलाईन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ बांटने के आयकर विभाग के अनुरोध से सहमत हो गया है, जिसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान करने होंगे।

तदनुसार, उपलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण ने द्विभाषी परियोजना के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमैंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई–फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज–विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

इस परियोजना का विकास एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल कार्यदायी एजेंसी को पहले ही सौंप दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पहले ही शुरू की जा चुकी है और वेब–एप्लीकेशन, ई–फाइलिंग मोड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवतः आने वाले दो महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे।

(ख) ई– न्यायालय

पिछले वर्ष के दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट और जबलपुर पीठों में ई–न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट और जबलपुर

पीठों में क्रमशः अहमदाबाद और दिल्ली पीठों को जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। इन स्थानों पर ई–न्यायालय के माध्यम से कुल क्रमशः 826 और 106 अपीलों का निपटान किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, पुणे, चंडीगढ, बंगलूरू, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी पीठों में ई–न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर बंद पड़ी हुई पीठों को चालू किया जा सके।

(11) आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन : आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को सीडीए, कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू–खंड आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं बुनियादी विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण ने आवेदन किया है।

(12) भूमि की स्थिति का विस्तृत विवरण :

(i) **पुणे** :– बिल्डिंग प्लान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ii) **बंगलूरू** :– भवन का निर्माण शुरू हो गया है। सिविल और विद्युतीय कार्यों के लिए चालू वर्ष 2016–17 के दौरान ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के तहत 4.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) **जयपुर** :– भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और अप्रैल 2016 में इसे नए भवन में स्थानान्तरित किया गया है। सिविल और विद्युतीय कार्य करवाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष में से 1.97 करोड़ की राशि जारी की गई।

(iv) **लखनऊ** :– आयकर अपीलीय अधिकरण लखनऊ पीठ के 8314.28 वर्ग मीटर भूमि के प्लाट पर कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण करवाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार एनबीसीसी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सौंपे गए 53.18 करोड़ (चहारदीवारी और मुख्य द्वार के लिए व्यय सहित) के प्रारंभिक अनुमान के अनुमोदन के लिए और मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(अ) **कटक** :– आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ के लिए चहारदीवारी के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौपे गए 2.14 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमान और कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौपे गए 24.47 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमान के अनुमोदन के लिए और मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है ।

(vi) **गुवाहाटी** :– चालू वित्तीय वर्ष, 2016–17 के दौरान, ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के अधीन, फैन्सी बाजार, गुवाहाटी में 4.03 करोड़ रुपए में सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सी आई डब्लू टी सी) की भूमि ली गई है ।

(vii) **कोलकाता** :– आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ के कार्यालय परिसर के लिए कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं बुनियादी विकास निगम लिमिटेड (डब्लूबीएचआई डीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया गया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के अधीन 25 लाख रुपए की अग्रिम राशि को जमा करने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो गई है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

(13) **सदस्यों के लिए सुविधाएं :** माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंहट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905 / 1998 व टीपी (सी) सं0 659 और 672–673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

(14) **हितकारी निधि :** आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

(15) **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा इसका कार्यान्वययन किया जा रहा है।

(16) राजभाषा नीति का कार्यान्वहयन :

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

(ii) हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वियन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की आयकर अपीलीय अधिकरण के मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

(iii) न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वियन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

(iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

(v) इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यांवयन के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान की 50 प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय के लिए आबंटित की गई है।

(vi) सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

(17) सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयनः

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में रियायत के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2016–17 के दौरान भी विधिवत

कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आकड़े **उपाबंध–VI** में दिए गए हैं।

23. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.)

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.), 1999 की धारा 18 के अधीन की गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित किए गए या धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण में अपील की जा सकती है। व्यथित व्यक्ति द्वारा यह अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर और शास्ति की राशि जमा करने के बाद दाखिल की जा सकेगी। जब एक व्यथित पक्षकार द्वारा एक नई अपील दाखिल की जाती है तो रजिस्ट्री में उसकी जांच की जाती है। जांच और सभी कार्यवाहियां पूरी करने के पश्चात रजिस्ट्रार अधिकरण के उचित बेंच के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए भेजता है।

(2) कलैंडर वर्ष 2016 के दौरान यह अधिकरण मात्र 69 मामलों का ही अंतिम निर्णय कर सका था और विभिन्न आवेदनों पर लगभग 91 अंतरिम आदेश पारित किए जा सके थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सितम्बर, 2016 से ही माननीय अध्यक्ष महोदय का पद रिक्त है जो शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। यह अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है, जहां देशभर के वकील, जिनमें वरिष्ठे अधिवक्ता भी शामिल हैं, पेश होते हैं। कर्मचारियों और निधि की विकट कमी के बावजूद यह अधिकरण अपने दो नियमित क्रियाशील पीठों के साथ सबसे व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है। उपर्युक्तध अवधि के दौरान रजिस्ट्री में 31 नए मामले प्राप्त हुए हैं और एक मामले को उच्च न्यायालय द्वारा वापस भेजा गया है। दिसंबर, 2016 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या 889 है। नए दाखिल और अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण इसके साथ संलग्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि टैक्समैन और मनुपत्र जैसे विधि के जर्नलों में महत्वपूर्ण आदेश निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। वर्तमान कैलेंडर वर्ष में अधिकरण का लक्ष्य बड़ी संख्या में मामलों का गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय करने का है। यह अधिकरण अपनी एक वेबसाइट बनाने पर भी कार्य कर रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और संभवतः यह वेबसाइट आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। पुस्तरकालय के प्रस्ताव, कर्मचारियों की पुनर्व्यवस्था, वित्तीय शक्तियां प्रदान करने आदि का काम जारी है।

(3) अधिकरण की संरचनाः

अधिकरण की संरचना इस प्रकार हैः—

	अधिकारी का नाम	दूरभाष सं०
1.	माननीय अध्यक्ष (रिक्त)	011—23316359
2.	डॉ० एच. के. मुदगिल, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष	011—23738154
3.	श्रीमती शारदा जैन, माननीय सदस्य	011—23711710
4.	श्री जगन्नाथ, सहायक विधि सलाहकार/ पंजीकार, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी	011—23714281
5.	श्री राकेश कुमार, निजी सचिव, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	011—23738154

(4) वर्ष 2016 के दौरान, लंबित मामलों, अपीलों के निपटान तथा नई दाखिल अपीलों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है, जो रजिस्ट्री में उपलब्ध रिकार्ड/सूचना पर आधारित है :—

क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
वर्ष 2015 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2016 के दौरान दाखिल किए गए मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2016 के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए मामलों की संख्या	अपीलों की कुल संख्या (क+ख+ग)	वर्ष 2016 के दौरान अंतिम रुप से निपटाई गई अपीलों की कुल संख्या	विविध आवेदनों पर दिए गए अंतरिम आदेशों की संख्या	वर्ष 2016 के अंत में लंबित अपीलों की कुल संख्या (घ—ड.)
926	**31**	**01**	**958**	**69**	**91**	**958—69 =889**

24. सतर्कता संबंधी गतिविधिया

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। वर्तमान में सतर्कता एकक के प्रमुख श्री आर. के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता

ढांचे का केंद्र बिन्दु होते हैं और उन्हें निम्निलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

- कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यतनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चत करने के लिए रोकथाम के उपाय करना,
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना,
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना,
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना,
- केन्द्रीय जांच ब्यूररो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पिणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना,
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा,
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना और
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

(2) कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्चल प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 31.10.2016 को 11 बजे(पूर्वाह्न) शपथ–ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि सचिव ने शास्त्री भवन में दोनों विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अवधि में "सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में जन भागीदारी" पर मुख्य ध्यान दिया गया।

25. लिंग आधारित मुद्दे

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए गठित शिकायत समिति, जिसका पुनर्गठन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 129 के तहत किया गया था, को वर्ष 2016–17 में भी जारी रखा गया है। उक्त समिति

का कार्य प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हों, का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना है। इस समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों और इसके द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी होती है, जिसे विधि कार्य विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधि कार्य विभाग को और विधायी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधायी विभाग को प्रस्तुवत किया जाना होता है। उक्त समिति को एक तीसरे पक्ष, या तो किसी गैर–सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय, जिसे इस विषय की जानकारी अथवा अनुभव हो, को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अधिकार प्राप्त है।

26. दिनांक 1.1.2017 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्यि पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध–VII** में दिया गया है।

27. विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण **उपाबंध–VIII** में दिया गया है।

28. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

(1) **शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरणः–** प्रशा.IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

(2) **डिजिटल इंडिया** – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

लिम्ब्स न्यायालयी मामलों की व्यापक, विनियामक और सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब–आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टेल है अर्थात इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए एक प्रयोक्ता अनुकूल डाटा–एंट्री स्क्रीन दी गई है। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टों से इन मुकदमों को मॉनीटर करने में मदद मिलती है। ई–डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है।

लिम्स्त एप्लीककेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा और प्राधिकारी अपने जवाब पहले से तैयार कर सकेंगे।

(ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध बांटने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय–समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभः–

(क) अधिकतम उपयोग
(ख) दोहराव से बचाव
(ग) अधिकतम समेकन
(घ) स्वातमित्व की जानकारी
(ङ) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई–ऑफिस

ई–ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(क) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
(ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक–चार्टर की मांगों को पूरा करना।
(ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।
(घ) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।
(ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।
(च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वसचालित होगी।
(घ) निर्णय लेने के स्तरों को कम करना– कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।
(ङ) पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

29. संविधान दिवस

भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर

दिनांक 26 नवंबर 2016 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

30. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि और न्याद मंत्री तथा विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण :

क्र. सं.	नाम और पदनाम	देश	दौरे का प्रायोजन और अवधि
1.	श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा, तत्कालीन माननीय विधि और न्याय मंत्री	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने के लिए)
2.	श्री पी.पी. चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (विधि और न्याय)	नीदरलैंड (हेग)	दिनांक 25–26 अक्टूबर, 2016 (हेग में मुकदमों के मामलों के संबंध में)
3.	श्री सुरेश चन्द्र विधि सचिव	संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयार्क)	दिनांक 11 से 15 जुलाई, 2016 तक (संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईट आरएएल) के 49वें सत्र में भाग लेने के लिए)
		नीदरलैंड (हेग)	दिनांक 25–26 अक्टूबर, 2016 (हेग में मुकदमों के मामलों के संबंध में)
4.	श्री मुकुल रोहतगी, भारत के महान्यायवादी	दक्षिण कोरिया और जापान	दिनांक 16 से 23 मई, 2016 तक (यूएनसीआईटीआरएएल के 50वीं वर्षगांठ समारोह और बौद्धिक संपत्ति अधिकार और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए)
5.	श्री के.एम. नटराज, भारत के अपर महासालिसिटर	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु)
6.	श्री विजय मोहन जैन, तत्कावलीन विधि और न्याय मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु)
7.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार	ब्राजील (ब्रासीलिया)	दिनांक 3 से 7 अक्टूबर, 2016 तक (भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) की बैठक में भाग लेने के लिए)
8.	डॉ. आर.जे.आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	न्यूजीलैंड (ऑकलैंड)	दिनांक 12 से 18 जून, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वार्ता के 13वें दौर में निवेश संबंधी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने हेतु)
		वियतनाम (हो ची मिन्ह शहर)	दिनांक 14–19 अगस्ते, 2016 तक (निवेश संबंधी कार्य समूह की 14वें दौर की बैठक में भाग लेने हेतु)
		इंडोनेशिया (टेंगरेंग, बेंटन)	दिनांक 5 से 10 दिसंबर, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति (आरसीईपी टीएनसी 16) की 16वीं बैठक और इससे संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	देश	दौरे का प्रायोजन और अवधि
9.	श्री रमेश चन्द्र, उप विधि सलाहकार	संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयार्क)	दिनांक 3 से 15 जुलाई, 2016 तक (संयुक्ते राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यांपार विधि (यूएनसीआईटीआरएएल), न्यूययार्क के 49वें सत्र में भाग लेने लिए)
10.	श्री राजवीर सिंह वर्मा, उप विधि सलाहकार	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने के लिए)
		ईरान (तेहरान)	दिनांक 5 से 7 सितंबर, 2016 तक (तेहरान में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) हेतु भारत और ईरान के बीच वार्ता के सूत्रपात में भाग लेने हेतु)
11.	डॉ. डी.वी. राव, उप विधि सलाहकार	चीन (तियानजिन)	दिनांक 16 से 21 अक्टूबर, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्याकपार वार्ता समिति (आरसीईपी टीएनसी 15) की 15वीं बैठक और संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु)
12.	श्री आर. गणेश वॉल्ट्येयर, उप विधि सलाहकार	दक्षिण कोरिया (इंचोन)	दिनांक 16 से 18 मई, 2016 तक (इंचोन (दक्षिण कोरिया) में यूएनसीआईटी–आरएएल– एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय केंद्र द्वारा आयोजित व्यापार विधि फोरम सम्मेतलन में भाग लेने हेतु)
13.	श्री राघवेन्द्र सिंह श्रीनेत, सहायक विधि सलाहकार	आस्ट्रिया (वियना)	दिनांक 12 से 23 सितंबर, 2016 तक (वियना (आस्ट्रिया) में यूएनसीआईटीआरएएल कार्यसमूह–II (विवाद निपटान) के पैंसठवें सत्र में भाग लेने हेतु)
14.	श्रीमती आरती चोपड़ा, सहायक विधि सलाहकार	ऑस्ट्रेलिया (पर्थ)	दिनांक 23 से 29 अप्रैल, 2016 तक (ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में क्षेत्रीय व्यांपक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के अधीन निवेश संबंधी कार्यसमूह (डब्लूजीआई) की 12वीं बैठक में भाग लेने हेतु)

31. लंबित लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति :– शून्य

उपाबंध – I

(कृपया अध्याय – I पैरा 2 देखें)

विधि कार्य विभाग का संगठन–चार्ट

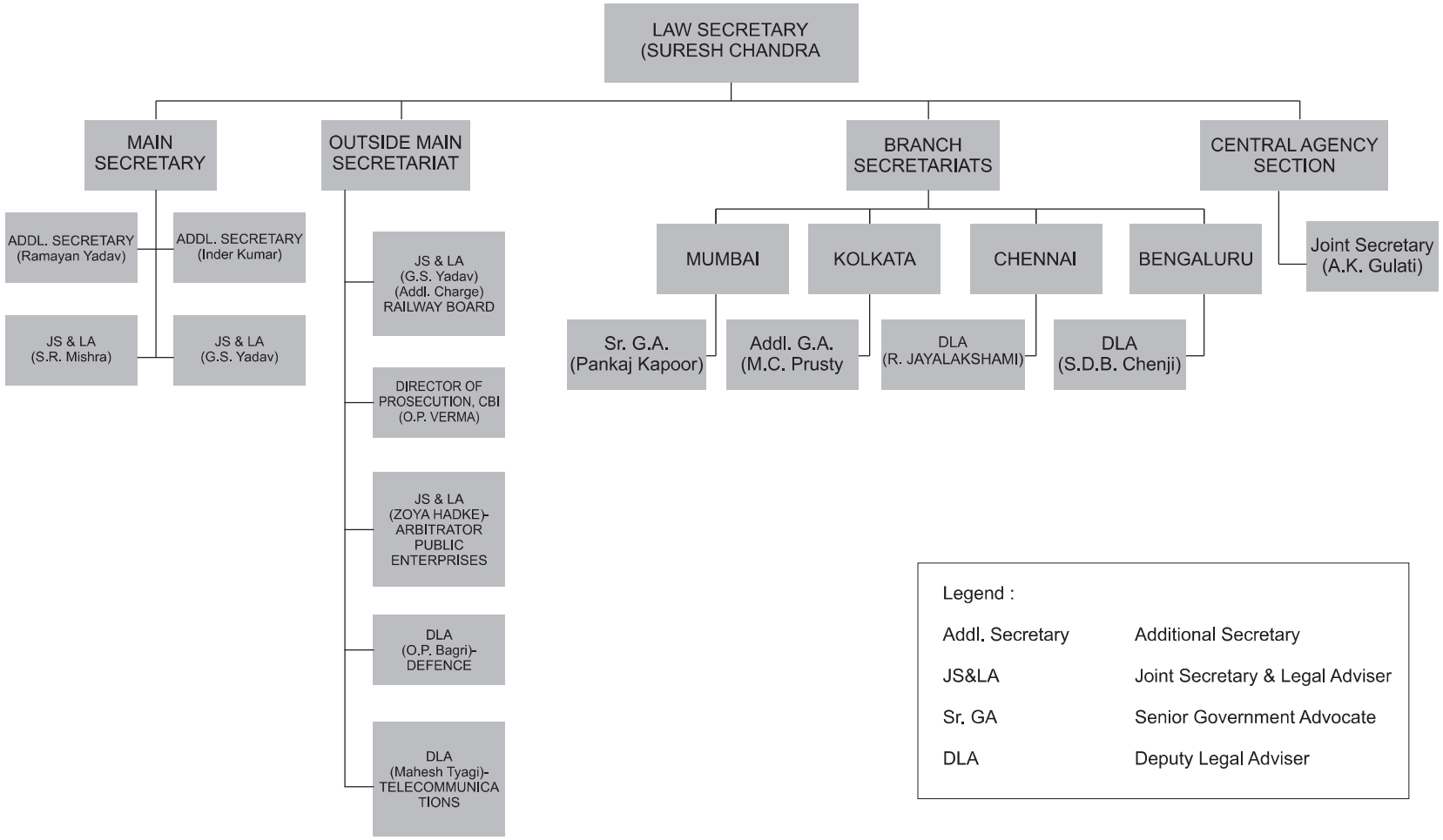

Legend :	
Addl. Secretary	Additional Secretary
JS&LA	Joint Secretary & Legal Adviser
Sr. GA	Senior Government Advocate
DLA	Deputy Legal Adviser

उपाबंध – II

(कृपया अध्याय – I पैरा 12 (ग) (xi) देखें)

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2016 के अनुसार प्रशिक्षिण अधिकारी/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	385	385	0
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल टंकक (कोर्ट क्लर्क/अवर श्रेणी लिपिक	हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	76	46	30
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
	112	78	34

उपाबंध – III

(कृपया अध्याय – I पैरा 12 (ग) (xi) देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी के प्रगामी का ब्यौरा

	1	2		3		4		5		6	
	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए		पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए		भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या		हिंदी में भेजे गए पत्र		अंग्रेजी में भेजे गए पत्र	
विधि कार्य विभाग	6942	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।		6301		31270		19530		11740	
	7	8		9		10		11		12	
	तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए		अंग्रेजी में जारी किए गए		हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम – पट्टिकाएं	
	13	14	15	16		17		18		19	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी / विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटर की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम – पट्टिकाएं	
				राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विविभाषिक	अंग्रेजी में	द्विविभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	300	300*	——	171	214	72	155	सभी	——	सभी	——

*सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है।

उपाबंध – IV

(कृपया अध्याय – I पैरा 13 देखें)

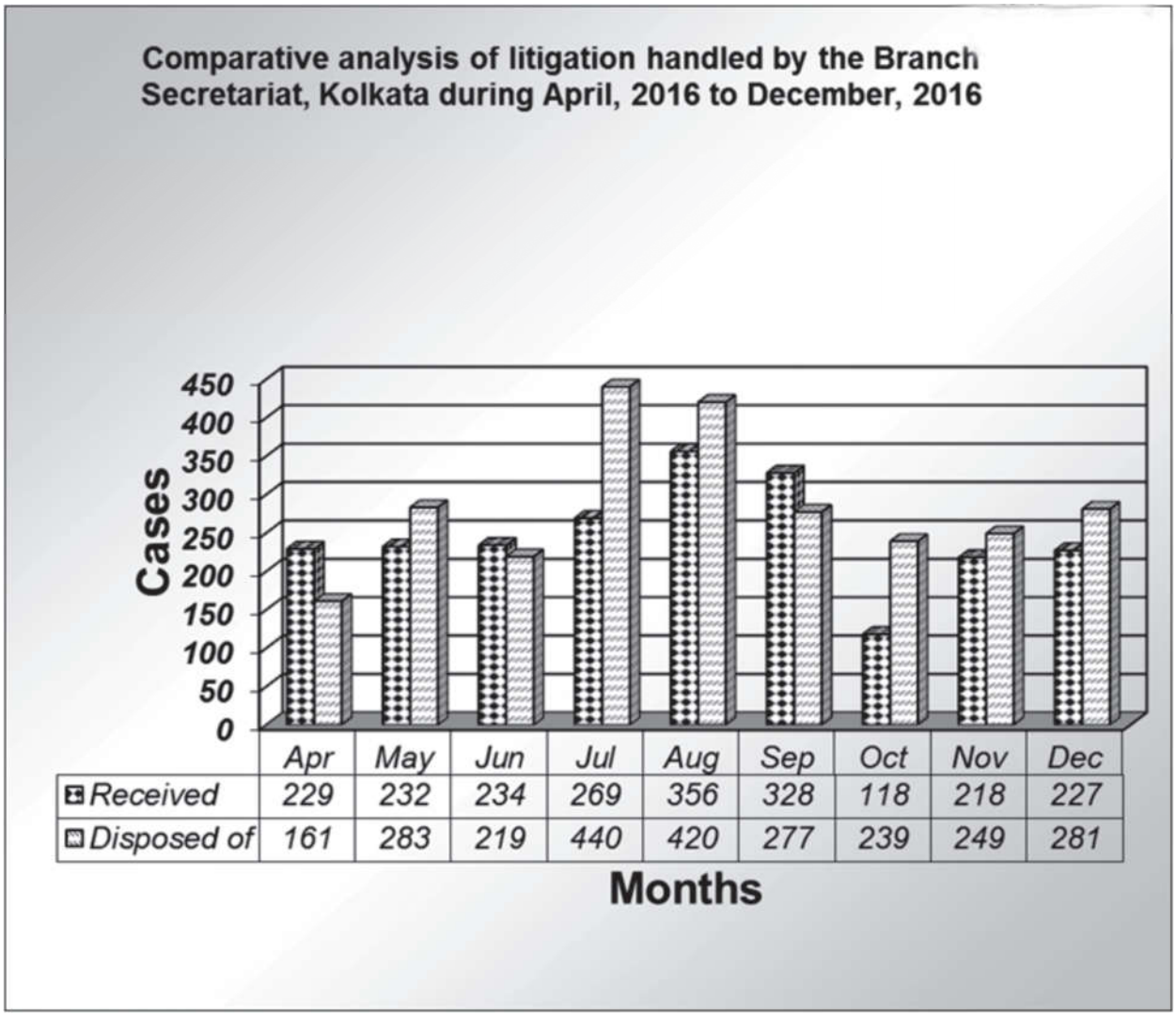

उपाबंध – V

(कृपया अध्याय – I पैरा 13 (xi) देखें)

Data regarding disbursement of Professional Fee to Panel Counsel by the Branch Secretariat, Kolkata during April, 2016 to December, 2016

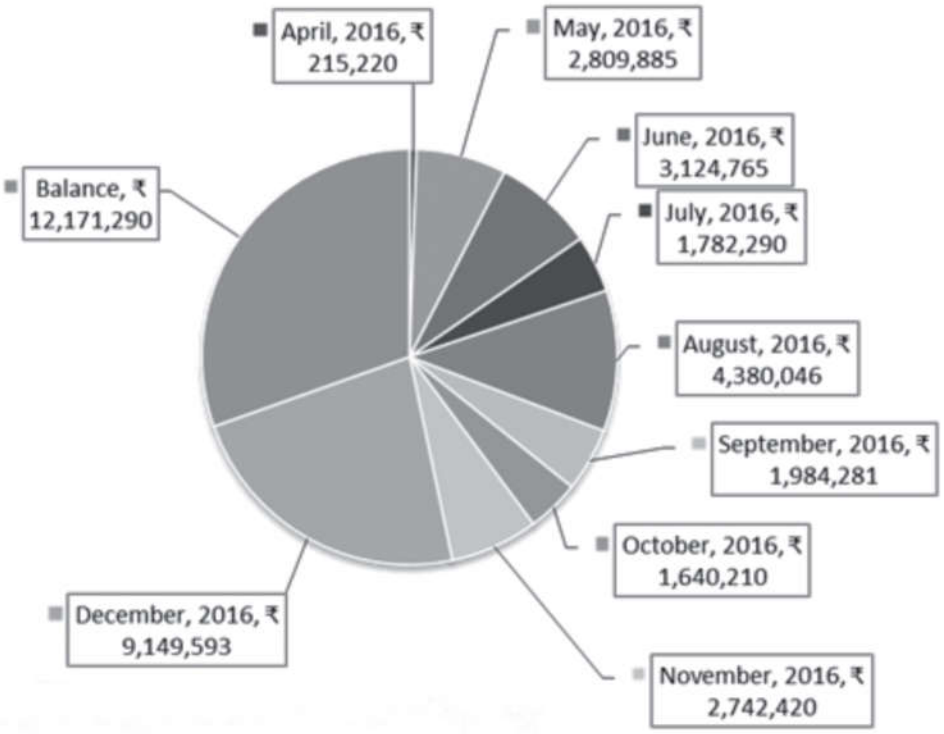

Budgetary amount during the year 2016-2017 : Rs. 4,00,00,000/-
Total Amount Paid upto December, 2016 : Rs. 2,78,28,710/-

उपाबंध - VI

(कृपया अध्याय - I पैरा 22 (xvii) देखें)

दिनांक 01.01.2017 को आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ जा.ज..	अ.व.पि.	भू.सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	-	-	-	-	-
उपाध्यक्ष	2	2	-	-	-	-	-
लेखा सदस्य	52	29	4	3	15	-	1
न्यायिक सदस्य	46	26	7	2	11	-	-
रजिस्ट्रार	1	1	-	-	-	-	-
उप रजिस्ट्रार	-	-	-	-	-	-	-
सहायक रजिस्ट्रार	21	11	4	1	5	-	-
हिंदी अधिकारी	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**123**	**70**	**15**	**6**	**31**	**0**	**1**

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ जा.ज..	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
						-	-	-	-	-	-	-	-
वरिष्ठ निजी सचिव	88	55	11	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-
निजी सचिव	17	7	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
अधीक्षक	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय अधीक्षक	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिन्दी अनुवादक	6	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रधान लिपिक	37	26	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायक	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**163**	**103**	**23**	**5**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ जा.ज..	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	90	43	9	3	29	-	-	3	-	-	1	-	2
स्टेनो ग्रेड 'डी'	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवर श्रेणी लिपिक	124	59	25	11	26	-	-	1	-	-	-	2	-
स्टाफ कार चालक	34	3	9	3	4	1	1	8	5	-	-	-	-
कुल	**249**	**106**	**43**	**17**	**59**	**1**	**1**	**12**	**5**	**0**	**1**	**2**	**2**

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ जा.ज..	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
मल्टीटास्किंग स्टाफ-	201	61	64	16	31	1	3	8	10	3	0	3	1
कुल	**201**	**61**	**64**	**16**	**31**	**1**	**3**	**8**	**10**	**3**	**0**	**3**	**1**

उपाबंध - VII

(कृपया अध्याय - I पैरा 26 देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2017 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	97	18	18.55	6	6.18	12	12.37	-	-	3	3.09
समूह 'ख'	250	38	15.20	5	2.00	22	8.80	03	1.20	06	2.40
समूह 'ग'	135	13	9.62	2	1.48	16	11.85	-	-	02	1.48
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	164	51	31.09	9	5.48	24	14.63	01	0.60	02	1.21
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	08	08	100	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	654	128	19.57	22	3.36	74	11.31	04	0.61	13	1.98

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

*उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है ।

(कृपया अध्याय - I पैरा 26 देखें)

वर्ष 2016 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10 + 11)
	अधिसूचित*	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख'	4	10	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती है। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 2 में से	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 3 में से	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 19 + 20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	--	-	-	-	-	-
समूह ख'	04	01	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह "क" (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	05	06	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	5	5	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ". (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भाग-III प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा)भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह "क" (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह "ख"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
"क"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपाबंध - VIII

(कृपया अध्याय - I पैरा 27 देखें)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	97	15	123	8
समूह ख	250	93	163	25
समूह ग	135	04	249	89
समूह घ	172	15	201	13
कुल	**654**	**127**	**736**	**135**